वित्तीय सेवाएं विभाग
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार

आसानी से बीमा हितलाभों का दावा कीजिए

इन योजनाओं के अंतर्गत

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

₹2 लाख का जीवन बीमा
सिर्फ़ ₹330 के वार्षिक प्रीमियम पर

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

₹2 लाख का दुर्घटना बीमा
सिर्फ़ ₹12 के वार्षिक प्रीमियम पर

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना/प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत विकलांग की स्थिति में बीमा धारक द्वारा दावा तथा बीमा धारक की मृत्यु होने पर उनके नामित द्वारा दावा, इनमें से जो भी स्थिति हो दावा प्रायः दुर्घटना/मृत्यु के 30 दिनों के अंदर विनिर्धारित दावा फ़ॉर्म में, निम्नलिखित कागजातों के साथ बैंक की उस शाखा में दर्ज किया जाना चाहिए जहां बीमा धारक का बैंक खाता हो:

1. **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए–मृत्यु का प्रमाणपत्र**
2. **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए**
   - क) दुर्घटना की **फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (एफआईआर)/पंचनामा की मूल प्रति**
   - ख) बीमाधारक की मृत्यु की दशा में पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र
   - ग) स्थायी अशक्तता के मामले में–सिविल सर्जन से अशक्तता का प्रमाण पत्र
3. **विनिर्धारित फॉर्मेट में डिस्चार्ज वाउचर**

बैंक द्वारा जल्द से जल्द कागजातों को बीमा कंपनी के पास जमा कराया जाएगा, इसमें दावे के मिलने से 30 दिनों से अधिक समय नहीं लिया जाएगा। बीमा कंपनी द्वारा दावे पर निपटान प्रक्रिया कर के दावे का वितरण किया जाएगा।

दावा फ़ॉर्म बैंक, बीमा कंपनियों की शाखाओं और **www.jansuraksha.gov.in** पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया नेशनल टोल फ्री नं. **180011001/18001801111** या राज्य टोल फ्री नं.**18003456195** पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट **www.jansuraksha.gov.in/ www.financialservices.gov.in** पर विज़िट करें।

10 करोड़ से अधिक लोग इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ चुके हैं।

इस अवसर का लाभ उठाएँ।

दोनो योजनाओं का पंजीकरण अभी जारी है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 31 अगस्त 2015 से पहले पंजीकरण कराने पर अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता नहीं है।

अपने बैंक से संपर्क करें, आज ही!